

पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

बनाम

कमिशनर केंद्रीय आबकारी मुंबई

12 जुलाई, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पुंटा जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क- अधिनिर्णय कार्यवाही - प्रतिप्रेषण - अभिनिर्धारित - तथ्यों पर, प्रतिप्रेषण एक असीमित आदेश नहीं था - प्रतिप्रेषण की शर्तें सीमित और विशिष्ट थी।

अपीलार्थी-निर्धारिती - मुद्रित लचीले पैकेजिंग लैमिनेट्स और पाउच के निर्माण में लगा हुआ है। इन वस्तुओं की छपाई अपीलार्थी के एक विभाग द्वारा निर्मित मुद्रण सिलेंडरों के माध्यम से की जाती है। अपीलार्थी ने लैमिनेट्स और पाउच के आंकलन योग्य मूल्य में मुद्रण सिलेंडर बनाने के शुल्क को शामिल नहीं किया। विभाग ने तदनुसार शुल्क की मांग की, जो कथित रूप से कम लगाया गया था और जुर्माना भी लगाया गया । न्यायाधिकरण ने मामले को दो मुद्दों, शुल्क की सही दर और राशि तथा देय जुर्माने की सही राशि पर निर्णय के लिए पुनःप्रेषित कर दिया। रिमांड पर, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सिलेंडरों की छपाई की लागत में छूट दी

गयी है। हालाँकि, आयुक्त ने अपीलार्थी की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि प्रतिप्रेषण कार्यवाही में परिशोधन /छूट के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या प्रतिप्रेषण, शुल्क और जुर्माने की सही दर के निर्धारण तक सीमित था तथा यह कि अपीलार्थी के लिए यह प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं थी कि वह सिलेंडरों की छपाई की लागत के परिशोधन के संबंध में दलील दे सके।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

1.1. न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसने मामले को प्रतिप्रेषण किया था, प्रतिप्रेषण की शर्तों के बारे में स्पष्ट और विशिष्ट था। न्यायाधिकरण ने पैराग्राफ 6 में उल्लेख किया कि उसके समक्ष लिया गया रुख/प्रतिरक्षा, कि पैकिंग सामग्री की कीमत में सिलेंडर की कीमत का परिशोधन किया गया था, वर्तमान रुख/प्रतिरक्षा का समर्थन करने के लिए उसके समक्ष रखी गई किसी भी तथ्य/सामग्री के अभाव में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लिए गए रुख से पूरी तरह से विरोधाभासी था। कहा कि "इन परिस्थितियों में, यह इस प्रकार है कि प्रस्तुत अलग-अलग चालानों के तहत एकत्र की गई राशि, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया गया था, सिलेंडर छापने का लागत का एक हिस्सा है। "फ्लेक्स इंडस्ट्रीज मामले में लिये गये दृष्टिकोण के अनुसरण में अनुच्छेद 8 में यह उल्लेख

किया गया है कि सिलेंडर की लागत को लागत परिशोधन के लिए एक अनुज्ञेय अवधि के लिए अंतिम उत्पाद के आकलन योग्य मूल्य में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, इस पर फिर से जोर दिया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष जाने से पहले अपीलार्थी के पास कोई मामला नहीं था और सिलेंडर की लागत का परिशोधन किया जा चुका है। पैराग्राफ 12 में यह विशेष रूप से कहा गया था कि मामला न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को दो पहलू, शुल्क की सही दर क्या है, यदि कोई हो, तो प्रभार्य तथा सही अंतर शुल्क की राशि, यदि कोई देय हो, और जुर्माने की सही राशि, पर निर्णय लेने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए को भेजा जा रहा था।

1.2. केवल मात्र पैरा 10 को पढ़ने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि यह केवल विशेष दलील से संबंधित था ना कि किसी अन्य दलील से जैसा कि पैरा 8 में बताया गया है। मोहन लाल के मामले में इस अदालत ने सीमित प्रतिप्रेषण के दायरे पर प्रकाश डाला है। उपर्युक्त स्थिति में, इन अपीलों में अब, जहाँ तक कि शुल्क के उद्ग्रहण का संबंध है, कोई योग्यता नहीं है। हालांकि, तथ्यात्मक परिदृश्य को देखते हुए जुर्माना Rs.10 लाख से घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

[पैरा 10 और 11] [319-एफ; 320-ई]

मोहन लाल बनाम आनंदीबाई और ओआरएस , ए. आई. आर. (1971)
एस. सी. 2177 पर भरोसा किया गया।

फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ,
(1997) 91 ई. एल. टी. 120, संदर्भित।

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 5317-5318 में से 2002

निर्णय और आदेश सं। CII 1838-39-02-WZB दिनांकित
11.06.2002 सी ई जी ए टी से। पश्चिम पीठ, मुंबई ई-स्टे-468/02-मम
और अपील ई / 566 / 02 - बोम। के साथ 2005 का सी. ए. सं.
7098।

डी. ए. डेव डेरियस श्रॉफ, आर. एन. करंजावाला, रूबी सिंह आहूजा,
भारत सिंह, मनु अग्रवाल और माणिक करंजावाला अपीलार्थी की ओर से

नागेंद्र राय, अरुणा गुप्ता और बी. कृष्ण प्रसाद प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इन अपीलों में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण)
अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ (संक्षेप में
'सी.ई.जी.ए.टी.')

और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय
न्यायाधिकरण, मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ (संक्षेप में 'सी.ई.एस.टी.ए.टी.')

द्वारा पारित आदेशों को चुनौति दी गयी है।

2. समान बिंदुओं को निपटारे के लिए एक साथ लिया जा रहा है।
3. जहाँ तक अपील Nos.5317-5318/2002 का संबंध है वे सी. ई. जी. ए. टी. द्वारा अपील सं. ई./566/02-बम में पारित आदेश से संबंधित हैं । 2002 की अपील No.5318 सुधार के लिए दाखिल किए गए आवेदन की अस्वीकृति से संबंधित है। 2005 की अपील No.7098 अपील सं. ई./3617/04-एम. यू. एम. से संबंधित है। सुविधा के लिए सिविल अपील Nos.5317-18 की तथ्यात्मक स्थिति वर्णित की गई है:
4. अपीलार्थी फर्म पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड मुद्रित लचीली पैकेजिंग लैमिनेट्स और पाउच के निर्माण में लगी हुयी थी। इन वस्तुओं की छपाई सिलेंडरों की छपाई के माध्यम से की जाती है। ये सिलेंडर पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के एक प्रभाग हेलियो ग्रेवोर, ठाणे द्वारा निर्मित हो रहे थे। विभाग की जाँच से यह विश्वास करने के लिए परेरित किया कि मुद्रण सिलेंडर बनाने का शुल्क अपीलार्थी द्वारा उस उत्पाद के खरीदारों से अलग से वसूल किया गया था और इन शुल्कों को लैमिनेट्स पाउच आदि के आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। 43.59 लाख रुपये, जो कथित रूप से कम अधिरोपित किये गए थे, के शुल्क की मांग करते हुए दिनांकित 1.2.1994 का नोटिस जारी किया गया था। कलेक्टर ने दिसंबर 1994 में मांग की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किए और जुर्माना लगाया। निर्धारिती ने इस आदेश को न्यायाधिकरण में चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने

अपने आदेश पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम. कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे, (1999) 110 ई. एल. टी. 671 के रूप में प्रकाशित में यह माना कि सिलेंडरों की छपाई के लिए जो शुल्क का भुगतान किया गया था, वह पाउच और ऐसे अन्य सामानों के मूल्य में शामिल था। सेवा शुल्कों के संबंध में यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने अपने खरीदारों से उस गतिविधि की वसूली की जिसके लिए वसूल किए गए शुल्कों को एक आवश्यक गतिविधि के रूप में माना जाना चाहिए ताकि अपीलार्थी को लैमिनेटेड डिब्बों को प्रिंट करने में सक्षम बनाया जा सके, जो अपीलार्थी के अंतिम उत्पाद हैं और इस दृष्टिकोण से भी, एकत्र किए गए शुल्क आकलन योग्य मूल्य का हिस्सा होंगे। न्यायाधिकरण ने यह भी नोट किया कि अपीलार्थी द्वारा इससे पहले "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष, अपीलार्थी द्वारा सिलेंडरों की लागत का किसी भी हद तक परिशोधन किया गया था" जैसा कोई मामला नहीं था। न्यायाधिकरण के समक्ष एक और तर्क उठाया गया कि विवादित अवधि के एक पर्याप्त हिस्से के दौरान या तो बोर्ड के आदेश दिनांकित 5.5.1999 या छूट अधिसूचना 49/87 दिनांकित 1.3.1987 के कारण तैयार उत्पाद पर प्रभार्य शुल्क शून्य था। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि ये दलीलें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष नहीं उठाई गयीं। निर्णय में कहा गया कि इन स्थितियों की तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होगी और उन्होंने महसूस किया कि विवाद का निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

इसलिए दो मुद्दों कि प्रभार्य शुल्क की सही दर और देय अंतर शुल्क की सही राशि और देय दंड की सही राशि क्या है, पर निर्णय लेने के लिए मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेज दिया। आयुक्त ने दिनांक 31.10.2001 के आदेश द्वारा प्रतिप्रेषण कार्यवाही के संबंध में आदेश पारित किए। उक्त आदेश को सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी गई।

5. अपने आदेश में, आयुक्त ने यह रुख अपनाया कि न्यायाधिकरण के आदेश और उस आदेश में गलती के सुधार के लिए एक पश्चातवर्ती आवेदन पर पीठ द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिप्रेषण की कार्यवाही में उनके द्वारा परिशोधन पर विचार नहीं किया जाना था। उन्होंने अधिसूचना 49/87 की प्रयोज्यता और बोर्ड के आदेश दिनांकित 5.5.1989 की जांच की और पाया कि उनमें से कोई भी लागू नहीं होगा। निर्धारिती को उस शर्त की पूर्ति नहीं दिखाई गई थी जिसके अधीन अधिसूचना 49/87 की छूट उपलब्ध थी और बोर्ड का परिपत्र विवादित अवधि से संबंधित नहीं था।

6. सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष अपीलार्थी के अभिभाषक का तर्क था कि आयुक्त को इस तर्क को ध्यान में रखना चाहिए था कि कास्टिंग का परिशोधन किया गया था। अधिवक्ता अपीलार्थी ने फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ (1997) 91 ईएलटी 120 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। सी.ई.जी.ए.टी. के

अनुसार, इससे अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिली। न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसने मामले को प्रतिप्रेषण किया था, प्रतिप्रेषण की शर्तों के बारे में स्पष्ट और विशिष्ट था। न्यायाधिकरण ने पैराग्राफ 6 में उल्लेख किया कि उसके समक्ष अब लिया गया रुख, कि पैकिंग सामग्री की कीमत में सिलेंडर की कीमत का परिशोधन किया गया था, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लिए गए रुख के पूरी तरह से विरोधाभासी था, क्योंकि वर्तमान रुख का समर्थन करने के लिए उसके सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई थी। यह कहा कि "इन परिस्थितियों में, अलग-अलग चालानों के तहत एकत्र की गई राशि, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया गया है, सिलेंडर की छपाई की लागत का एक हिस्सा है"। जबकि फ्लेक्स इंडस्ट्रीज मामले (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार पैराग्राफ 8 में उल्लेख किया है कि सिलेंडर की लागत अंतिम उत्पाद के आकलन योग्य मूल्य में काफी समय तक परिलक्षित होनी चाहिए, सबसे अधिक परिशोधन करते हुए फिर से इस बात पर जोर दिया गया कि इससे पूर्व अपीलार्थी का न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं था और सिलेंडर की लागत परिशोधित की गयी थी। विशेष रूप से पैराग्राफ 12 में कहा गया था कि मामले को दो पहलुओं पर निर्णय लेने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजा जा रहा था कि शुल्क की सही दर क्या है, यदि कोई हो, तो सही राशि तथा विभेदक शुल्क, यदि कोई देय हो, और जुर्माने की सही राशि।

7. सी.ई.जी.ए.टी. ने पाया कि प्रतिप्रेषण की शर्तें विशिष्ट थीं। यह प्रतिप्रेषण का आदेश, जहाँ तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"अंतिम तर्क का यह उठाया गया है कि विवादित अवधि के एक बड़े हिस्से के दौरान, अपीलार्थी के तैयार उत्पादों पर प्रभार्य शुल्क पर बोर्ड के आदेश दिनांकित 5.5.1989 या छूट अधिसूचना No.49/87, दिनांकित 1.3.1987 के कारण शुल्क की दर शून्य थी। ये विवाद न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष पहले नहीं उठाए गए हैं इसलिए उनके पास इस सम्बन्ध में अपना विवेक लगाने का अवसर नहीं था। यद्यपि निम्न प्राधिकारी के समक्ष इन तर्कों का नहीं उठाया गया है, फिर भी हम इस स्तर पर इन तर्कों को उठाने के लिए अपीलार्थी की अनुमति प्रदान करने लिए इच्छुक हैं। इन तर्कों पर विचार करने के लिए अनुमोदित वर्गीकरण सूचियाँ और बोर्ड के आदेश और अधिसूचना द्वारा कवर की गई वस्तुओं का विवरण जैसे संदर्भ की आवश्यकता होगी और तथ्यात्मक जांच पड़ताल की भी आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से, इस विवाद का निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।"

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि प्रतिप्रेषण का आदेश असीमित था ना कि सीमित। अतः व्यक्त किया गया दृष्टिकोण सही नहीं है। यह भी कथन किया कि लगायी गयी शास्ति अधिक थी।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने आलोच्य आदेशों का समर्थन किया।

10. पैरा 10 को केवल मात्र पढ़ने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि यह केवल विशिष्ठ दलील से सम्बन्धित था, जो पैरा 8 द्वारा कवर की गई थी, ना कि किसी अन्य दलील से। इस न्यायालय द्वारा मोहन लाल बनाम आनंदीबाई और ओआरएस, आकाशवाणी (1971) एस. सी. 2177 में सीमित प्रतिप्रेषण के दायरे पर प्रकाश डाला गया है। इसे पैरा 9 में इस प्रकार वर्णित किया गया था:

"9. अंत में, वकील ने आग्रह किया कि अब मुकदमा वापस विचारण न्यायालय में प्रागःन्याय के तर्क पर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया गया है, अपीलार्थी को लिखित कथन में संशोधन करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि धोखाधड़ी की प्रकृति एवं उपहार विलेख प्रदर्श पी-3 का पूर्वनिर्धारण के संबंध में अभिवचनों को शामिल किया जा सके। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये प्रश्नों को उचित रूप से नये विचारण की विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा

बताया गया है कि ऐसा वाद जिसमें ऐसे तर्क, जो पहले से ही समय-वर्जित हैं, वादी उत्तरदाताओं के लिए इन तर्कों को अंतिम चरण में लिखित कथन में संशोधन की अनुमति देना अनुचित होगा। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय, डिक्री निष्कर्ष को अपास्त किया जा चुका था तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दिये गये आधारों पर गुणावगुण पर पुनः नवीन निर्णय पारित करने के लिए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषण किया गया था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि, अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने सभी बिन्दुओं पर विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये सभी निष्कर्षों को अपास्त कर दिया था। यह आदेश की सही व्याख्या नहीं है। जाहिर है, यह निर्देश देने में कि दोनों अदालतों के निष्कर्ष अपास्त किये गये हैं उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और उन बिन्दुओं पर उच्च न्यायालय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष से अलग मत रखता है। अन्य मुद्दों पर निष्कर्ष, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, इस आदेश से अपास्त नहीं माना जा सकता है। इसी तरह, संशोधनों की अनुमति देने में, उच्च न्यायालय ने वर्तमान

अपीलार्थी को अपने लिखित कथन में सभी आवश्यक विवरण और प्रागःन्याय के तर्क का समस्त विवरण संशोधन करने के लिए स्वतंत्रता दी है और कहा है कि निचली अदालत कोई अन्य संशोधन करने की अनुमति देने के लिए उनके अनुरोध पर भी विचार कर सकती है। इसके बावजूद, उन अन्य संशोधनों, जिसकी अनुमति दी जा सकती है, आवश्यक रूप से प्रागःन्याय के तर्क से संबंधित होने चाहिए। इसकी व्याख्या अपीलार्थी को कोई भी पूरी तरह से नये तर्क जो प्रारंभिक चरण में नहीं उठाई गई थीं, उठाने की स्वतंत्रता देने के रूप में नहीं की जा सकती है। अन्य संशोधन वे होने चाहिए जो प्रागःन्याय के तर्क में संशोधन के परिणामस्वरूप हो।

11. उपर्युक्त स्थिति में, जहाँ तक शुल्क लगाने का संबंध है, इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं है जो अपास्त की जाती है। हालांकि, तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार करते हुए जुर्माना Rs.10 लाख से घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

12. जहाँ तक 2005 की अपील 7098 का संबंध है, प्राथमिक स्थिति यह है -

(i) कि हैदराबाद के आयुक्त ने निर्धारित अपीलार्थी के रुख को स्वीकार कर लिया है। लेकिन हस्तगत मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वीकार की गई स्थिति यह थी कि यह एक अलग शुल्क है। सी.ई.एस.टी.ए.टी. का आदेश स्थिति स्पष्ट करता है। सी.ई.एस.टी.ए.टी. आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित है:

(ii) दिनांकित 23.6.1994 के कारण बताएँ नोटिस के संदर्भ में, जवाब 26 जुलाई 1994 का पत्र (पृष्ठ 159) है। यह कहा गया था कि मुद्रण सिलेंडरों का निर्माण उनके द्वारा अपने कारखाने यानी एम/एस हैलो ग्रेवर में विभिन्न सामग्रियों से किया जाता है, और विभिन्न ग्राहकों के रूपांकन या डिजाइन इसमें शामिल किये जाते हैं। मुद्रण सिलेंडर को लचीली पैकेजिंग लेमीनेट का इनपुट नहीं माना जा सकता है इसके मूल्य लचीली पैकेजिंग लेमीनेट के मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है।

(iii) कारण बताओ नोटिस दिनांकित 5.10.1994 के संबंध में जारी पत्र दिनांकित 14.11.1994 (पृष्ठ 164) में यह कहा गया था कि मुद्रण सिलेण्डर बनाने का शुल्क उनके द्वारा एम/एस हैलो ग्रेवर के लिए एकत्र किया जाता था। एम/एस हैलो ग्रेवर, जिन पर यह आरोप लगाये गये हैं और जिनकी पुस्तकों में यह दिखाये गये हैं, वे स्पष्ट रूप से इन शुल्को को अपने चालान में एकत्र नहीं कर सकते थे क्योंकि ये लचीली पैकेजिंग की लागत का हिस्सा नहीं हैं लेकिन वे प्रिंटिंग सिलेण्डरो की लागत का हिस्सा हैं

उन्होंने आगे कहा कि कलाकृतियों के डिजाइन और सिलेंडरों के विकास की लागत, जिसकी प्रतिपूर्ति उनके ग्राहकों द्वारा की गयी और मैसर्स की पुस्तकों में जमा हुयी। हेलियो और उनके ग्राहकों द्वारा खर्च किया जाता है न कि उनके द्वारा और इसलिए इस लागत को विनिर्माण लागत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) दिनांकित 8.9.1995 के कारण बताओ नोटिस के संबंध में, दिनांकित 26 सितंबर, 1995 (पृष्ठ 173) उत्तर के माध्यम से उन्होंने कथन/प्रस्तुत किया कि मुद्रित सिलेंडर बनाने की लागत को दो प्रकार की लागतों में विभाजित किया गया है:

(ए) प्रति सिलेंडर, जो धातु यानी तांबे से बना है, मेसर्स हेलियो ग्रेवूर की संपत्ति है। लचीली पैकेजिंग लैमिनेट उत्पादों में धातु के सिलेंडर की कीमत का परिशोधन किया जाता है।

(ख) कलाकृति और डिजाइन, जो सिलेंडर में शामिल हैं, के लिए भी परिशोधन किया जाता है।

13. यह ध्यान देने योग्य है कि आयुक्त ने 7.9.1993 से 31.3.2000 तक की अवधि को कवर करते हुये 23 कारण बताओ नोटिसों पर फैसला सुनाया था। इससे पहले इन नोटिसों पर मूल आदेश No.31/2001 कॉमर एम VI दिनांकित 03-10-2001 के माध्यम से निर्णय लिया गया था। जिसके खिलाफ अपील सं. ई./568/02 मम दायर की गई थी।

सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपील का निपटारा किया गया था:

"अपीलार्थी के वकील का तर्क है कि समान मुद्दा, तैयार वस्तुओं के निर्माण की लागत अर्थात मुद्रित प्लास्टिक की चादरें, सिलेंडरों की लागत और खरीदारों से आंशिक भाग की वसूली को शामिल करना, पहले ही फ्लेक्स इंडस्ट्रीज सीसीई, (1997) 91 ईएलटी 120 के मामले में न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा चुका है। उनका कहना है कि आयुक्त ने लागत लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित लागत पत्रक पर विचार नहीं किया है, जिसे उनके द्वारा तर्क के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था। हमने इन लागत पत्रकों की प्रतियाँ को देखा है। जबकि आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला है कि उनके समक्ष पहले परिशोधन का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इन लागत पत्रों पर विचार नहीं किया है। इसलिए हम इस उद्देश्य के लिए मामले को उसके पास वापस भेजने का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रक्रिया में, अपीलार्थी द्वारा नोटिसों में उठाए गए मुद्दों और समर्थन में अग्रिम तर्कों पर आयुक्त को संबोधित करने का हकदार होगा। विभाग को भी आयुक्त के समक्ष अग्रिम

प्रस्तुतियाँ करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद आयुक्त नोटिसों में उठाए गए मुद्दों पर कानून के अनुसार आदेश पारित करेंगे।"

14. ऐसा लगता है कि फ्लेक्स इंडस्ट्रीज केस के बाद अलग से आरोप लगाया गया था। सी.ई. एस.टी.ए.टी. का निष्कर्ष निम्नलिखित प्रभाव रखता है:

"अपीलकर्ता द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस के दिये गये विभिन्न जवाबों के अवलोकन से, जैसा कि संयुक्त सीडीआर द्वारा बताया गया है, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने समय समय पर अपना रुख बदला है। कभी यह तर्क दिया जाता है कि इन शुल्कों को शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा मुद्रण सिलेण्डरों की लागत के रूप में की जाती है, और कभी तर्क दिया है कि वे शुल्क हैं सिलेण्डरों की लागत के लिए नहीं बल्कि मुद्रण सिलेण्डर के रखरखाव के लिए है।"

15. ऐसा होने पर, अधिरोपित मांग किसी भी निर्योग्यता से ग्रसित नहीं है। लेकिन जहां तक नियम 173 क्यू के तहत शास्ती/जुर्माना का संबंध है, तो वह अधिक प्रतीत हो रहा है। पृष्ठभूमि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

16. अपीलॉ का नलडडान तदनुसलर कलडडल डलतल हल।

अडललॉ का नलडडलरल कलडडल डलतल।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ललिता शर्मा (आर.जे.00498) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।